

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	प्रमिला देवी पति— शेषनाथ साह ग्राम— देवापुर जाफर टोला पोस्ट—माझागढ थाना—माझागढ जिला गोपालगज एम०सी०एस—10360196	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मो० मुस्तफा सिद्दिकी पिता— रजी अहमद सिद्दिकी ग्रा—पडरौना पो० हरदिया थाना— बडहरिया जिला— सीवान एम०सी०एस—10362118	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मो० मुश्ताक पिता— मो० सलीम ग्राम+पो० बेलही थाना— सदर जिला दरभंगा एम०सी०एस—10362467	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	योगेन्द्र महतो पिता लखन महतो ग्राम—हिरायचक पो०—समसीपुर भीठ थाना— बछवाडा जिला बेगुसराय एम०सी०एस—10361468	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सरिता देवी पति- रमेश कुमार पाण्डेय ग्राम-सतवरिया पोस्ट- सिंहपुर थाना साठी जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 87801 / 10333693	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	धर्म नारायण झा पिता- सियाराम झा ग्राम- नगर पोस्ट- नवादा थाना- बहेडा जिला दरभंगा एम0सी0एस-जी0 12792 / 10358683	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	राधा देवी पति-स्व0 दीनानाथ मिस्त्री ग्राम- न्यू एतवारपुर पो0-कुरथौल थाना- परसा बाजार जिला पटना एम0सी0एस-जी 14105 / 10359996	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सगीता देवी पति- अच्छे लाल पासवान ग्राम+पो0-मधुरापुर थाना-सुष्पी जिला- सीतामढी एम0सी0एस-10361363	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सुनीता देवी पति- हरदेव ठाकुर ग्राम- काकर पोस्ट- बिशनपुर थाना कुमारखड जिला-मधेपुरा एम0सी0एस- 10316396	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	प्रभावती देवी पति- जितेन्द्र प्रसाद ग्राम शारदा नगर पो0+थाना रोसडा जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 13575 / 10359466	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

11	किशुनदेव महतो पिता-छटु महतो ग्राम-डुमरी पोस्ट- परशुरामपुर थाना- पीपराकोठी जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 13677 / 10359568	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	आयशा खातुन पति-मो0 बसीर ग्राम-बाकरगज अभडा पोखर पो0+थाना लहेरिया सराय जिला- दरभंगा एम0सी0एस-डी0 26146	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	चम्पतिया देवी पति-सरयुग दास ग्राम-सुल्तानपुर पो0-सुल्तानपुर थाना देसरी जिला वैशाली एम0सी0एस-10360928	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	राम चौधरी पिता-चन्द्र शेखर चौधरी ग्राम-बर्री बेहटा पो0- बर्री बेहटा थाना- चोरौत जिला-सीतामढी एम0सी0एस-जी0 13318 / 10359209	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	मीना देवी पति- दुख हरण साह ग्राम+पो0-कटहॉ थाना मेहसी जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10361897	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	राजेश यादव पिता- गौरी शकर यादव ग्राम-विशनपुरा टोला कचनार पो0-कचनार थाना सिसवन जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 12965 / 10358856	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

17	बीजन्ती देवी पति- नवल किशोर राय ग्राम-बनवारीपुर पो0-मस्तीचक थाना- दरियापुर जिला सारण एम0सी0एस-एफ 97015 / 10342907	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	विजय सिंह पिता- स्व0 रविन्द्र सिंह ग्राम- महेशखुट वेस्ट टोला पोस्ट-महेशखुट थाना महेशखुट जिला-खगडिया एम0सी0एस-एफ 55863	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	नीतु देवी पति-सजय कुमार ग्राम-रानीपुर गज पटना सिटी पो0- पटना सिटी थाना- मेहदीगंज जिला पटना एम0सी0एस-एफ 19510 / 10265402	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	बीबी समीना खातुन पति- मो0 इस्माईल ग्राम-धमसैना पो0-धमसैना थाना-सौर बाजार जिला सहरसा एम0सी0एस-10360771	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	मो0 कलीम पिता बटु मिया ग्राम+पो0-नीरपुर थाना-धमदाहा जिला-पुर्णिया एम0सी0एस-एफ 91208	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	उमेश प्रसाद पिता मोती लाल साह ग्राम- तुलसियाही पोस्ट-रहुआ थाना- बिहरा जिला- सहरसा एम0सी0एस-10361894	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	रवि प्रकाश पिता-गया लाल प्रसाद ग्राम- पिपरा पो0- दरपा थाना- दरपा जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10361359	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

24	पप्पु यादव पिता-श्री यादव ग्राम- फुलकिया टोला पो0+थाना चौसा जिला- मधेपुरा एम0सी0एस-जी0 4521	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	रामेश्वर यादव पिता- ठक्को यादव ग्राम- महम्मदपुर पोस्ट- एकाढ थाना-नवहट्टा जिला- सहरसा एम0सी0एस-10360716	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	रूपा कुमारी पिता रामज्ञान पासवान ग्राम- 'शिवाल पो0- रथौस थाना- बिस्फी जिला मधुबनी एम0सी0एस-10361627	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	श्री रवि दास पिता-स्व0 बाढो दास ग्राम-पच्छट्टी बोध गया पो0- बोधगया थाना बोध गया जिला- गया एम0सी0एस-10361830	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	उत्तम भगत पिता- स्व0 छेदी भगत ग्राम-मकईपुर पो0-मधुरा थाना कोढा जिला कटिहार एम0सी0एस- जी0 12851 / 10358742	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	बच्चिया देवी पति-दया चौधरी ग्राम-लखराव सिवान वार्ड 04 पो0-सिवान थाना-मुफसिल जिला-सीवान एम0सी0एस- जी0 13385 / 10359276	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	लाली देवी पति- झुना रवानी ग्राम-बभनौली 07 पो0-रतनपुर थाना-आरा मुफसिल जिला-भोजपुर एम0सी0एस- 10361530	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

31	कृष्णा सिंह पिता- राम स्वरूप सिंह ग्राम-जवकनपुर वार्ड न0-50 पो0 बुनियागज थाना मुफसिल जिला गया एम0सी0एस-जी0 13009/ 10358900	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	धनपत महतो पिता- भिखारी महतो ग्राम-करमवा पोस्ट-गोरा करमवा थाना- मझौलिया जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस- 10360715	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	लालो देवी पति- खीरू दास ग्राम-सुपाई पो0-श्याम नगर नीमा थाना-आमस जिला-गया एम0सी0एस-एफ 42898	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	दुलरिया देवी पति- हरी राय ग्राम-पोहिया पो0-भैसमारा थाना-गरखा जिला-सारण एम0सी0एस-10360903	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	सुनीता देवी पति- रजीत कुमार ग्राम- बेना साह की बाग रानीपुर, पो0-झुगनी थाना मेहदीगज जिला-पटना एम0सी0एस- 10361482	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	कलावती देवी पति- रामस्वरूप राय ग्राम-रायपुर बिदगावा पोस्ट- कोद्वपट्टी थाना- डोरीगज जिला सारण एम0सी0एस-जी0 11202 / 10357093	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

37	बली महतो पिता- सुबा महतो ग्राम- सरारी नोनिया टोला पो0- मुस्तफाबाद थाना- गोरैया कोठी जिला- सीवान एम0सी0एस-जी0 13802 /10359693	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	राम प्रवेश सिंह पिता- राम लखन सिंह ग्राम+पो0- केशावे थाना- रिफाईनरी ओ0पी0 जिला बेगुसराय एम0सी0एस-10347221 / जी0 1330	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	हेमान्ती देवी पति- देवशरण कुशवाहा ग्राम+पो0 साखे खास थाना- उचकागाव जिला- गोपालगंज एम0सी0एस-10361710	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	मीरा देवी पति-सनोज कुमार ग्राम-पिरारी पो0 जिल्काबाद थाना- गरखा जिला सारण एम0सी0एस- 10354120 / जी0 8229	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	हिरकलो देवी पति- राम सेवक सिंह ग्राम- दरियापुर पो0- दरियापुर थाना- धोबहॉ जिला- भोजपुर एम0सी0एस-10361861	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	कृष्णा कान्त पासवान पिता- बिहारी माझी ग्राम-भचकना पोस्ट- मचकना थाना हुसैनगज जिला सीवान एम0सी0एस-जी0 11499 10357390	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

43	गौरी देवी पति-राम प्रवेश प्रसाद ग्राम-हजीयापुर वार्ड 28 पो- गोपालगज थाना+जिला गोपालगज एम0सी0एस-जी0 12628 / 10358519	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	मटुन मुखिया पिता-स्व0 दुखा मुखिया ग्राम+पो0-देहद थाना- सोनवर्षा जिला- सहरसा एम0सी0एस-10361642	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	रामाश्रय पासवान पिता- रोहिन पासवान ग्राम+पो0 सुजा थाना-मुफसिल जिला- बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 13424	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	कुलदीप प्रसाद पिता- स्व0 प्रहलाद प्रसाद ग्राम-कमगर गली कसेरा टोली पोस्ट- झाउगज थाना खाजेकला जिला पटना एम0सी0एस-10360467	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	जमीला खातुन पति-अफरोज आलम ग्राम-पुरवारी टोला तुरकौलीया वार्ड 06 पोस्ट-तुरकौलीया थाना-तुरकौलीया जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10174897 / ई0 29004	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	आभा देवी पति- राजेश चौधरी ग्राम-सोकहारा 01 गॉधी नगर पो0-बरोनी थाना- फुलवरीया जिला- बेगुसराय एम0सी0एस-10361651	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	सगीता देवी पति- डोमन साह ग्राम+पो0-मंदा थाना-विभुतीपर जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस-10309499 / जी0 63607	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

50	कलानन्द पासवान पिता-स्व० विश्वनाथ पासवान ग्राम-मनसाही पो० मनसाही थाना- मनसाही जिला कटिहार एम०सी०एस-10361351	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	दुलारी देवी पति- नरेश मडल ग्राम-कुलकुलीया पो०+थाना-घोघा जिला भागलपुर एम०सी०एस-जी० 14482	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	सुनैना देवी पति- सूर्यनाथ साह ग्राम+पो०-सहुली थाना हुसैनगज जिला सीवान एम०सी०एस-10361096	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	भोला कुमार पिता- धनेश कुमार ग्राम करन गिहा पोस्ट- इजोर थाना- मेहदिया जिला अरवल एम०सी०एस- 10362597	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	इन्दु देवी पति- शम्भु सहनी ग्राम+पो०- शिवदासपुर थाना- कटरा जिला- मुजफ्फरपुर एम०सी०एस-10325558/ एफ 79666	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	सुरेश साह पिता-बिन्देश्वरी साह ग्राम- खुँट पो० चोपडा राम नगर थाना जानकी नगर जिला पूर्णिया एम०सी०एस-10362121	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	विरानजो देवी पति- रामलोचन सिंह ग्राम- श्रीरामपुर पो०-कसाप थाना- उदवत नगर जिला भोजपुर एम०सी०एस-जी० 14262/ 10360153	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

57	शिव कुमारी देवी पति- मगरू राम ग्राम- गजराढ पो0 तेलारी थाना- चेनारी जिला रोहतास एम0सी0एस-10361338	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	जितेन्द्र कुमार सिन्हा पिता- स्व0 राम प्रकाश सिंह ग्राम- मित्र मडल कोलनी पो0-अनिसाबाद थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना एम0सी0एस-10361648	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	माहा देवी पति- तारनी सिंह ग्राम- नदपुर वार्ड 09 पोस्ट+थाना सूर्यगढा जिला लखीसराय एम0सी0एस-जी0 133629	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	अजु कुमारी पति- सजीव कुमार ग्राम-बथुआ बुजुर्ग पो0- बथुआ थाना मुसरी घरारी जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-10361654	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
61	सनवी राज पिता गुडडु कुमार ग्राम- नोनीया टोला पो0- डी0 के0 शिकारपुर थाना- शिकारपुर जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-10362280	बोन मैरो ट्रास्प्लाट	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	कृष्णा प्रसाद पिता- जगदेव प्रसाद ग्राम+पो0-भुतौली मालपा थाना- चौथम जिला- खगडिया एम0सी0एस-10361137	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	रेयाजुदीन असारी पिता- मजहर असारी ग्राम- रसुलबाग पो0- कारा थाना ओबरा जिला औरगाबाद एम0सी0एस-जी0 13889/ 10359780	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

64	कवलपति देवी पति-विद्या महतो ग्राम- मोगल बिरैचा पो0-मोगल बिरैचा थाना-बरौली जिला गोपालगज एम0सी0एस- 10361226	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	माया देवी पति- बिजय कुमार सिंह ग्राम- हरनाटाड पोस्ट- केसरी थाना- धनगाई जिला भोजपुर एम0सी0एस-10362704	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	लालमुनी देवी पति- भरत महतो ग्राम- फतेहपुर पोस्ट- वैदापुर बिशनपुरा थाना- दरौदा जिला सीवान एम0सी0एस-ई0 81086	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	राज कुमार पिता- ब्रजनन्दन प्रसाद ग्राम- गोपी टोला पो0-जहागीरा थाना+जिला खगडिया एम0सी0एस-10360760	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
68	प्रभुनाथ सिंह पिता- राम चन्द्र सिंह ग्राम- डुमरी अड्डा पो0-डुमरी अड्डा थाना-डोरी गज जिला- सारण एम0सी0एस-10362887	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	हकिदा खातुन पति-मो0 कमाल ग्राम-बहदरपुर पोस्ट- रामपुर मटिहानी थाना- लाखो ओ0पी0 जिला- बेगुसराय एम0सी0एस-10361722	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	आनन्दी कुमारी पिता- मजी सिंह ग्राम- महरोढ वार्ड 09 पोस्ट- महरोढ थाना- नटवार जिला रोहतास एम0सी0एस-10352694 / जी0 6803	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

71	साधु शरण सिन्हा पिता- शिव शरण सिन्हा ग्राम-परियमा पो0- अतियामा थाना- घोषी जिला जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 27135 य0एचआईडी- 10273027	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	सुजीत कुमार राय पिता- अभय शकर राय ग्राम- धर्मचक पो0- मानसी थाना- मानसी जिला- खगडिया एम0सी0एस-एफ 22875	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
73	कौशिल्या देवी पति- राजेन्द्र मेहता ग्राम- गुरुबाजार पो0- गुरुबाजार थाना- बरारी जिला- कटिहार एम0सी0एस-एफ 52579	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	कैलाश कुमार सिंह पिता- रति चन्द सिंह ग्राम-सुखसैना पोस्ट- डभरा थाना- ताराबाडी जिला अररिया एम0सी0एस-जी0 9716 /10355607	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
75	सुखदेव प्रसाद पिता- सकलदीप सिंह ग्राम- मौजीपुर पोस्ट-फतुहा थाना- नदी जिला- पटना एम0सी0एस-जी0 12355/ 1035826	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	सुशीला देवी पति-शिव नाथ सहनी ग्राम-बलहा पो0-घटारो थाना- लालगज जिला वैशाली एम0सी0एस-10361658	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	रघुनन्दन साव पिता-स्व0 शिव वचन साव ग्राम-कुदरासी पोस्ट-आनन्दपुर थाना-रामपुर चौरम जिला अरवल एम0सी0एस-10361402	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

78	अभय कुमार पिटु पिता- सत्य नारायण सिंह ग्राम- सोगर पोस्ट- सोगर थाना- ताजपुर जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-10362006	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	अकला देवी पति- भोला यादव ग्राम- कमलपुर पोस्ट-भीत भगवानपुर थाना- भेजा जिला- मधुबनी एम0सी0एस-10362008	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	अगामी देवी पति- रघुनन्दन साह ग्राम- फिगलास पो0-फिगलास थाना-राघोपुर जिला सुपौल एम0सी0एस-जी0 14300 / 10360191	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	मुजफ्फर आलम पिता- सगीरुद्दीन ग्राम-चुनामारी पो0-मौधो थाना-कोचाधामन जिला किशनगज एम0सी0एस- 10362061	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
82	बच्ची देवी पति- चदन पासवान ग्राम- बहुअरवा पो0- महुआवा थाना- चिरेया जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10361608	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	वीरेन्द्र कुमार सिन्हा पिता-धनजय प्रसाद ग्राम- काशी मिस्त्री लेन छोटी खजरपुर काली स्थान, पोस्ट-खजरपुर थाना-बरारी ओ0पी0 जिला- भागलपुर एम0सी0एस-डी0 56555 / 10102449	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	कोशिला देवी पति- फागु राम ग्राम- केसरी पोस्ट- केसरी थाना- धनगाई जिला- भोजपुर एम0सी0एस-10354458	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

85	रौशन कुमार पिता- शिव कुमार यादव ग्राम- रजवा डुमरा पोस्ट- हसनपुर रोड थाना हसनपुर रोड जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 4971	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	अमरेन्द्र कुमार ठाकुर पिता- स्व0 जगन्नाथ ठाकुर ग्राम- असरगज पोस्ट- असरगंज थाना- असरगज जिला मुगेर एम0सी0एस-10362155	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	रामानुज कुमार पिता- सत्य नारायण पासवान ग्राम- बरियारपुर पोस्ट+थाना बख्तियारपुर जिला- पटना एम0सी0एस-10361269	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	विशाखा देवी पति- सुनील पंडित ग्राम-कथुडीह पोस्ट- कंथुडीह थाना-बहेडा जिला- दरभंगा एम0सी0एस-जी0 10415/ 10356306	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
89	राम्मा देवी पति- रामेश्वर सिंह ग्राम- घोघरडीहा बैरिया पो0- बैरियाडीह थाना हरसिद्धी जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 79787	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	पलक राज पिता- राजेश शरण ग्राम- बेतिया राज छावनी नई बाजार, पो0-भगवान बाजार थाना भगवान बाजार जिला-सारण एम0सी0एस-10361807	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	आशा देवी पति- विजय सिंह ग्राम-बार पो0-बार थाना-मदनपुर जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस- 10361909	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

92	धर्मेंद्र कुमार सिंह पिता- स्व० नित्यानन्द सिंह ग्राम-रामपट्टी पो०-सिहेश्वर थाना सिहेश्वर जिला- मधेपुरा एम०सी०एस- जी० 12833	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	मो० रजिउल्लाह पिता- मो० जमील ग्राम+पो०-रामपुर थाना-फारबिसगज जिला अररिया एम०सी०एस-एफ 40893	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	सावित्री देवी पति-स्व० राज कुमार सिंह ग्राम-टोला जागीर बिहट पो०-बिहट थाना-बरौनी पी०एस० जिला-बेगुसराय एम०सी०एस-एफ 96773	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			₹ 74,70,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 74,70,000/- (चौहत्तर लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002651 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी०जी०) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं में अर्जित लाभों को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक

1332(14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002657 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गाधी आर्युविज्ञान सस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में ।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है ।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	साबिर हुसैन पिता- शेख अब्दुल बारी ग्राम- झिटकहिया थाना- लखौरा जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 108112601040793	ट्रामा	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत ।
2	कुमोद यादव पिता- छेदी लाल यादव ग्राम- नवटोलिया पो०- कोस्कापुर थाना- रानीगज जिला- अररिया सीआर न०- 108112300226832	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
3	वदना देवी पति- राजेश पासवान ग्राम- साहेबपुर कमाल वार्ड 05 पो०+थाना- साहेबपुर जिला- बेगूसराय सीआर न०- 108112600767592	ट्यूमर/कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
4	गीता देवी पति- लक्ष्मी नारायण सिंह ग्राम- रामपुर लेन मुसल्लहपुर हाट पो०- महेन्द्र थाना- सुल्तानगज जिला- पटना सीआर न०- 108112403553572	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।

5	शाति देवी पति- जिन्दार राय ग्राम- कुआरी मदन टोला वार्ड 12 पो0- कुआरी मदन थाना- मेजरगज जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112600706101	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	ब्रज नदन चौधरी पिता- चद्रशेखर चौधरी ग्राम- अरुआर वार्ड 09 पो0- कुसोथर थाना- फेकला जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112300252680	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	अनीता कुमारी पति- करुणेश कुमार ग्राम- भरसो वार्ड 06 पो0- भरसो थाना- परबत्ता जिला- खगडिया सीआर न0- 108112600735801	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	गोपी रमन झा पिता- केसरी नंदन झा ग्राम- हरपुर जयराम पो0- चकहाजी थाना- कर्पूरीग्राम जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112400753333	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मो0 तौकिर आलम पिता- तौहीद आलम ग्राम- नुकानी वार्ड 09 पो0- खोकसा थाना- बायसी जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112600287116	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	निशी कान्त रंजन पिता- सुशील कुमार ग्राम- कम्पनीबाग वार्ड 13 पो0- भागलपुर सिटी थाना- यूनवर्सिटी जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112402584911	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	प्रमिला देवी पति- शकर दास ग्राम- रीगा टोले पिपरा वार्ड 03 पो0+थाना- रीगा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112402812965	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	रणधीर कुमार पिता- रामशकर चौधरी ग्राम- धर्मपुर पो0- दुम्हारपट्टी थाना- पुपरी जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112501917671	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
13	अनवर अली पिता- जफर आलम ग्राम- जोगजान भाग पो0+थाना- पलासी जिला- अररिया सीआर न0- 108112300409490	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
14	दिनेश पोद्दार पिता- राम नारायण पोद्दार ग्राम- बिक्रमपुर पो0- सारगपुर थाना- हलई जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600738134	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
15	रामवृक्ष सहनी पिता- राम नारायण सहनी ग्राम- लोहागीर वार्ड 04 पो0- लोहागीर थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112501214522	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
16	सुनीता देवी पति- तेजबहादुर राम ग्राम- सेलास पो0- बरहुती कला थाना- कोचस जिला- रोहतास सीआर न0- 108112600873252	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
17	विजय सहनी पिता- बाबू लाल सहनी ग्राम- लोहिया चौक पो0+थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112600904387	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
18	अरहुलिया देवी पति- विरेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम- रमौल पो0- बधार थाना- शिवाजीनगर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112502424377	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

19	दिविजय सिंह पिता- तेज बहादुर सिंह ग्राम- रामदौली वार्ड 15 पो0+थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112300392236	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	मोहन कुमार पिता- सुबरन बैठा ग्राम- पोखरैरा वार्ड 13 पो0- गिद्धा थाना- जैतपुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112300417310	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	मजू देवी पति- बृजेश कुमार ग्राम- कोरारी वार्ड 03 पो0- कोरारी थाना- नगरनौसा जिला- नालंदा सीआर न0- 108112600003959	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	जगतारनी देवी पति- भुवनेश्वर राय ग्राम- पटोरी पो0- पचगछिया थाना- बिहरा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112300266796	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	दुलारी देवी पति- रामशकर यादव ग्राम- महुडर पो0- करिदारपुर थाना- फतेहपुर जिला- गयाजी सीआर न0- 108112600453695	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	पडी देवी पति- रामाश्रय साव ग्राम- कपसिया वार्ड 13 पो0- कपसिया थाना- परैया जिला- गयाजी सीआर न0- 108112503389991	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	अमोल राम पति- मधुसूदन राम ग्राम- पिढौली पो0- अमजदपुर पिढौली थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112402326670	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	मुशीलाल राय पिता- रामखेलावन राय ग्राम+पो0- हेत्तरनपुर थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600929410	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	रुना देवी पति- हारो पासवान ग्राम- डूमरपोखर पो0+थाना- झाझा जिला- जमुई सीआर न0- 108112600400435	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	बेबी देवी पति- अमोद कुमार पटेल ग्राम- रामपुर राजधारी कनहौली धनराज पो0- कनहौली थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300265765	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	भोला प्रसाद महतो पिता- महवीर महतो ग्राम- भोपतपुर पो0- सिरिस थाना- बरुण जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112600502157	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	हीराझरी देवी पति- उमाशंकर ठाकुर ग्राम+पो0- रतनपुर थाना- आरा मुफ्फसिल जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112502434062	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	किरित कुमार पिता- नरेश प्रसाद ग्राम- बेन वार्ड 09 पो0+थाना- बेन जिला- नालदा सीआर न0- 108112600844503	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	समीर शर्मा पिता- राम सिद्धि शर्मा ग्राम- अन्धारी वार्ड 06 पो0- अन्धारी थाना- चौरी जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112600756469	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	इन्देश देवी पति- रामबाबू यादव ग्राम- विष्णुपुर पो0- खाजेडीह थाना- लदनियों जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112502196579	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	रामदेव माझी पिता- तिल्ला माझी ग्राम- धर्मबारी वार्ड 10 पो0- सफियाबाद थाना- बैकुंठपुर जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112600737626	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	कचन कुमारी पिता- निवास पोद्दार ग्राम- ब्रह्मस्थान वार्ड 04 पो0+थाना- बरियारपुर जिला- मुगोर सीआर नं0- 108112403342903	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	फुद्दी सिंह पिता- चन्द्रमन सिंह ग्राम+पो0- मर्ची थाना- बाईपास जिला- पटना सीआर न0- 108112600710931	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	रोकसाना खातून पति- असलम परवेज ग्राम- केवाल पो0- मलयपुर थाना-बरहट जिला- जमुई सीआर न0- 108112600867767	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	सुरेन्द्र साह पिता- असरफी साह ग्राम+पो0- मौदह थाना- सहियारा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112503579781	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	शोभा देवी पति- अमाकांत यादव ग्राम- नरसिहबाग वार्ड 02 पो0- नरसिहबाग थाना- भरौही जिला- मधेपुरा सीआर नं0- 108112600411950	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	ललिता देवी पति- बाबूलाल यादव ग्राम- चादपुर वार्ड 13 पो0- सिकदरपुर थाना- सग्रामपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112600567682	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	मनोहर कुमार मनोहर पिता- गुलाब मडल ग्राम- लोहापुर पडिया वार्ड 02 पो0+थाना- बरियारपुर जिला- मुगेर सीआर न0- 108112600635459	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	राम यादव पिता- बुचन यादव ग्राम- मनसापुर पो0+थाना- करजाईन जिला- सुपौल सीआर न0- 108112600804552	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	रानी देवी पति- निरजन कुमार गुप्ता ग्राम- मीठापुर बी एरिया नेहरू लेन पो0- जी0पी0ओ0 थाना- जक्कनपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112600559485	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	अरुण कुमार सिंह पिता- जगदेव प्रसाद सिंह ग्राम- रैनी पो0- इलमासनगन थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600763414	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	श्रीकांत यादव पिता- सियाराम यादव ग्राम- पलवा वार्ड 16 पो0- नदियामी थाना- बडगाँव जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112600152679	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	अवधेश कुमार पिता- स्व0 मुगेश्यवर राम ग्राम- शादीपुर वार्ड 11 पो0- शादीपुर थाना- बशी जिला- अरवल सीआर न0- 108112600983431	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	कविता देवी पति- उमाशकर यादव ग्राम- सहगाव वार्ड 01 पो0- बरियारपुर थाना- सलखुआ जिला- सहरसा सीआर न0- 108112503306467	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	रघुनन्दन शर्मा पिता- रामरूप शर्मा ग्राम- निकसपुर पो0- अकहा बिशनपुर थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600807161	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	प्रीति कुमारी पति- मनोज कुमार ग्राम- रसौक वार्ड 04 पो0- रसौक थाना- मोरकाही जिला- खगडिया सीआर नं0- 108112600348913	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	आरती देवी पति- सुनय कुमार गुप्ता ग्राम- हासपुर पो0- बीर थाना- धनरूआ जिला- पटना सीआर न0- 108112401075207	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	आमिर मुखिया पिता- राजा मुखिया ग्राम- पटखोलिया पो0- जगरनाथपुर थाना- गोपालपुर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 108112600516808	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	रजू देवी पति- भोला शंकर चौधरी ग्राम- डीह बुचौली वार्ड 06 पो0- डीह बुचौली थाना- जन्हादा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600755713	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	मो0 मुसतकीम पिता- मो0 इदरीस ग्राम- नगर पखयत झंझारपुर वार्ड 09 पो0+थाना- झंझारपुर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112600463259	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	जनाई राम पिता- जगन राम ग्राम- मद्रपुर पो0- सिरिस थाना- बरुण जिला- औरगाबाद सीआर न0- 108112400573190	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	इन्दु देवी पति- रामसेवक सिंह ग्राम- मैनक टोला पो0+थाना- मोकामा जिला- पटना सीआर न0- 108112600353887	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	सतेद्र राय पिता- सुन्दर राय ग्राम+पो0- गोरिगामा थाना- महनार जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600833218	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	फुलवा देवी पति- इन्देव यादव ग्राम- काल्हुआ पो0- खिरियावाँ थाना- सलैया जिला- औरगाबाद सीआर न0- 108112600435042	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	अमला देवी पति- कैलू मुखिया ग्राम- सिसौना वार्ड 09 पो0- केवटगामा थाना- के अस्थान जिला- दरभंगा सीआर न07 108112600396497	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	सहीमा खातून पति- मो0 अमानुल्लाह ग्राम- नया बस्ती लाल सरैया पो0- लाल सरैया थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112500057466	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	शोभा देवी पति- बबलू दास ग्राम- बाजितपुर वार्ड 03 पो0- पुरपथार थाना- दौडाही जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112503624892	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	अनिशा मुर्मू पति- विकास टुडू ग्राम- बरबाना वार्ड 18 पो0- मेरीगंज थाना- रानीगंज जिला- अररिया सीआर न07 108112600703608	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	साहुल कुमार पिता- अरुण साह ग्राम- गोविन्द मंदिर कोट बाजार वार्ड 14 पो0- चकमहिला थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112600919716	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	उदय सिंह पिता- सीता राम ग्राम- भैरोबीघा पो0+थाना- सरे जिला- नालंदा सीआर न0- 108112503570415	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	टुनटुन साह पिता- गणेश साह ग्राम- गोरगामा पो0- घोरदौर थाना- सलखुआ जिला- सहरसा सीआर न0- 108112600934413	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	अफताब आलम पिता- जफर इमाम ग्राम+पो0- कोदरिया थाना- पताही जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112600884629	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
66	मजरूल हक पिता- हबीबुर रहमान ग्राम- फूलगाछी पो0- तरवबारी थाना- गर्भडागा जिला- किशनगंज सीआर न0- 108112600110933	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
67	धीरेन्द्र कुमार सिंह पिता- देव ब्रत सिंह ग्राम- खुरूपडा वार्ड 01 पो0- हसनपुर शुगर मिल्स थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600821082	Catatact Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

68	सुशीला देवी पति- कमल देव साह ग्राम- बोकाने कला वार्ड 07 पो0- बोकाने कला थाना- पताही जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0 108112600872973	राईट नी रिप्लेसमेंट	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
69	राजमणि देवी पति- अजय नारायण ग्राम- दानी बीघा पो0- जियन बीघा थाना- कुसुम्भा जिला- शेखपुरा सीआर न0- 108112600696148	नी रिप्लेसमेंट	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
70	मुन्ना महतो पिता- महादेव महतो ग्राम- छत्रपुरा वार्ड 14 पो0- शिवनार थाना- मोकामा जिला- पटना सीआर न0- 108112600574522	हृदय रोग एवीआर	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
71	समशे आलम पिता- मो0 मुस्तुफा ग्राम- भैरोपट्टी पो0- मिल्कीचक थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112300173763	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
72	सायरा खातून पति- अनवारूल हक ग्राम+पो0- पकरिया थाना- छौडदानो जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112300731448	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	रजन कुमार पिता- मुनी प्रसाद ग्राम- कौशकी नाथ झा लेन पो0- चम्पानगर थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112600759093	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	सुनीता देवी पति- सोनू प्रसाद ग्राम- लालजी टोला सरकारी स्कूल पो0- जी पी ओ थाना- गांधी मैदान जिला- पटना सीआर न0- 108112503539224	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	भोला पासवान पिता- चदेश्वर पासवान ग्राम- रहरपुर पो0- नरहरपुर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112500934378	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	रामसुंदर देवी पति- सुरेंद्र भगत ग्राम- कोकट पो0- उघरा थाना- पतौर जिला- दरभंगा सीआर नं0- 108112600734066	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
77	विजय कुमार पिता- ज्ञानी सिंह ग्राम- कृष्णा बिगहा पो0- बान्सडीह थाना- हिलसा जिला- नालदा सीआर नं0- 108112600682058	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			61,65,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 61,65,000/- (एकसठ लाख पैसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~002657~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना" खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1333(14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002657 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख



सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में ,

निदेशक,

महावीर आरोग्य संस्थान,
नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज,
अपोजीट पेट्रोल पम्प,
कंकडबाग, पटना- 800020

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मूर्ती कुमारी पति- मंजय कुमार ग्राम- नासरीगज बिस्कुट फैक्ट्री मोड पो0- दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना रजि न0- 2627/2562	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	अजलि कुमारी पति- सूरज कुमार ग्राम- काली मंदिर के निकट अम्बेर वार्ड 16 पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा रजि न0- 2526/54107	हृदय रोग डीवीआर	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक "महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, कंकडबाग पटना 20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1334(14)

पटना, दिनांक 11/5/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 002657 ...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध सस्थान प्रा० लि०,
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक... ..

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	असिया देवी पति- राजाराम शर्मा ग्राम- दहगामा पो०- डुमरी थाना- करजाईन जिला- सुपौल	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	गौरी शकर साव पिता- रामेश्वर साव ग्राम+पो०- औटा थाना- हाथीदाह जिला- पटना	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	आनदी सिंह पिता- प्रगाश सिंह ग्राम+पो०- मधुरापुर थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	जय राम पिता- रामेश्वर राम ग्राम+पो०- नदावन थाना- बाढ जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	इस्लाम पिता- मीर नूरुदीन ग्राम- बरकुरवा पो०- सोनवल थाना- पहाडपुर जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	सोनम कुमारी पति- जयप्रकाश कुमार ग्राम- साहेबगज रोड चकिया पो0- बारा चकिया थाना- चकिया जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	नीलू देवी पति- स्व० विन्देश्वरी प्रसाद बिहारी ग्राम- करियारहमान पो0- मिरजनहाट थाना- मोजाहिदपुर जिला- भागलपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	रामचंद्र महतो पिता- दुखरन महतो ग्राम- कलवारा पो0- रहुआ थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
9	महजबी पति- समी अख्तर ग्राम- इस्लामपुर पो0- खेमचद थाना- के नगर जिला- पूर्णियां	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	प्रमला देवी पति- नगीना पासवान ग्राम- पचोई पो0- डेमा फतेहपुर थाना- खिजरसराय जिला- गया जी	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
11	सुधीर प्रसाद पिता- राजेद्र प्रसाद ग्राम- गडेरिया बिगहा पो0- कोशियावा थाना- एकगर साराय जिला- नालंदा	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
12	सुरेश मेहता पिता- वासुदेव मेहता ग्राम- पहाडपुर पो0- भद्दी थाना- पस्तपार पुलिस शिविर जिला- सहरसा	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
13	समीना खातून पति- जाकिर ग्राम- लक्ष्मीपुर मुस्लिम टोला पो0+थाना- इस्माइलपुर जिला- भागलपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

14	आरती देवी पति- हरेद्र नोनिया ग्राम+पो0- नवादा बेन थाना- उदवतनगर जिला- भोजपुर	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
15	आदित्य कुमार ओझा पिता- मोहन ओझा ग्राम+पो0- बसतपुर पट्टी थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
16	मजु देवी पति- शम्भु प्रसाद ग्राम- गोपालपुर टोले मगही पो0 गोपालपुर थाना- लकडी नवीगज जिला- सिवान	हृदय रोग बीएमभी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
17	अनिल कुमार पिता- राम किशुन प्रसाद ग्राम- बंगरा पो0- डब्छू थाना- लकडी नवीगज जिला- सिवान	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
18	सजीव कुमार पिता- लालबहादुर सिंह ग्राम- चकअब्दुलगणी पो0- रामपुर रामहर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			17,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,35,000/- (सत्रह लाख पैंतीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 006651... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1335(14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित/करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.002651 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर/ स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **06.05.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नरेन्द्र कुमार पिता- भोला राम ग्राम- हरशकरपुर पो०- असिनचक थाना- दलसिहसराय जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 109112401972440	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	प्रेम नाथ शाही पिता- वासदेव शाही ग्राम- अगौता पो०- मिर्जापूर थाना- नौतन जिला- सिवान सीआर न०- 109112600667117	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मालती देवी पति- बिनय कुमार ग्राम- नियर आर्यण मिल कम्पाउन्ड गजाधर चक पो०+थाना- दानापुर जिला- पटना सीआर न०- 109112600391995	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

4	आर्यन कुमार पिता- कृष्ण कुमार ग्राम- सुहथ वार्ड 12 पो0- सुहथ थाना- सौरबाजार जिला- सहरसा सीआर न0- 109112501755616	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
5	मजुला पति- रजीत कुमार सिंह ग्राम- आदमापुर पो0- खानपुर थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर न0- 109112600419865	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
6	निशा कुमारी पिता- प्रकाश यादव ग्राम- रधियाछाप वार्ड 07 पो0- चारकापत्थर थाना- चर्कपथर जिला- जमुई सीआर न0- 109112600189797	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
7	अंकित कुमार सहनी पिता- रविन्द्र सहनी ग्राम- बिजुली वार्ड 01 पो0- बिजुली थाना- सदर जिला- दरभंगा सीआर न0- 109112600137720	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
8	नन्द कुमार पिता- राम उचित राय ग्राम- आदमपुर वार्ड 04 पो0- खजुरार थाना- भदौर जिला- पटना सीआर नं0- 109112501007342	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
9	पुनिता देवी पति- मनोहर यादव ग्राम- मंगरौनी वार्ड 04 पो0- ऐना थाना- महिषी जिला- सहरसा सीआर न0- 109112500412201	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
10	आयुष कुमार पिता- चन्दन कुमार ग्राम+पो0- पैजुना थाना- घोसवरी जिला- पटना सीआर न0- 109112502890258	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

11	मुन्नी खातून पति- मो० यासीन ग्राम- जय हिन्द गली वार्ड 53 पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना सीआर न०- 109112500959021	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
12	ज्योति कुमार पिता- राजेंद्र प्रसाद शर्मा ग्राम- पररी वार्ड 07 पो०- तारानगर थाना- बिहटा जिला- पटना सीआर नं०- 109112500267154	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
13	सुरभि कुमारी पति- उमाकांत राव ग्राम- डुमरिया वार्ड 09 पो०- पखनाहा थाना- बैरिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं०- 109112301611717	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
14	आशा सिन्हा पति- सजय कुमार ग्राम- नियर राजेद्र सरोवर देवराहा बाबा कॉलोनी साधनापुरी वार्ड 23 पो०- छपरा थाना- नगर जिला- सारण सीआर नं०- 109112201952762	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
15	शमीम इकबाल पिता- नेसार अहमद ग्राम- मेवाती टोला पो०+थाना- सासाराम जिला- रोहतास सीआर न०- 109112302001203	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
16	नीलू कुमारी पति- रामबाबू झा ग्राम- झखरा टोले पतैली वार्ड 10 पो०- झखरा थाना- सरायरजन जिला- समस्तीपुर सीआर नं०- 109112501923322	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।
17	अविनाश नागदंश पिता- सवलिया मिश्रा ग्राम+पो०- खानपुर थाना- माझी जिला- सारण सीआर न०- 109112600006544	वन हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत ।

18	मुन्ना लाल पिता- शिववचन महतो ग्राम- पिरारी पो0- पिरारीडीह थाना- डेरनी जिला- सारण सीआर न0- 109112600530367	बोथ हीप रिप्लेसमेंट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
19	गीता देवी पति- विजय कुमार पाण्डेय ग्राम- जैतपुर वा र्ड 11 पो0- जैतपुर थाना- दाउदपुर जिला- सारण सीआर न0- 109112600492023	बोथ हीप रिप्लेसमेंट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
20	धर्मेन्द्र कुमार पिता- ओम प्रकाश ग्राम+पो0+थाना- शोहसराय जिला- नालंदा सीआर न0- 109112600599618	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
21	उदय कुमार पिता- इन्द्र देव यादव ग्राम- करमा पो0- सत्तर थाना- नबीनगर जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 109112302093621	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
22	दिलीप कुमार पिता- बलिस्टर यादव ग्राम+पो0- जौकटिया थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 109112600298391	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
23	रूपकली देवी पति- कुश कुमार ग्राम+पो0+थाना- शाहजांपुर जिला- पटना सीआर न0- 109112501077804	बोथ हीप रिप्लेसमेंट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
24	फुलमती देवी पति- सुखु नदन प्रसाद ग्राम- डॉक्टर बिदु प्रसाद के पीछे गली मे लोदी कटरा पो0- झाऊगज थाना- खाजेकला जिला- पटना सीआर न0- 109112600669624	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
25	अरबिंद कुमार पांडेय पिता- चदेश्वर पांडेय ग्राम- मुकीमपुर पो0+थाना- गरखा जिला- सारण सीआर न0- 109112400583041	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

26	योगेंद्र प्रसाद पिता- स्व० मिश्रीलाल साह ग्राम- भगवान बाजार मेन रोड टाटा किराना स्टोर पो०+थाना- भगवान बाजार जिला- सारण सीआर न०- 109112101465309	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत ।
27	विनीता देवी पति- कमल कुमार ग्राम- चरोन पो०- नौवागढी थाना- मुफसिल जिला- मुंगेर सीआर न०- 109112501600965	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत ।
28	मानेश्वर सिंह पिता- बमभोली सिंह ग्राम- शिवनगर पो०- सस्कृत मिर्नली थाना- बलुआ बाजार जिला- सुपौल सीआर न०- 109112600221232	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत ।
29	स्तुति रॉय पिता- राजेश्वर प्रसाद यादव ग्राम- सेमरा पो०- कटहरिया थाना- कल्याणपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 109112600598468	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत ।
30	हीना खातुन पिता- मो० मजहर हुसैन ग्राम- नियर मदरसा नवादा आरा पो०- नवादा आरा थाना- आरा नवादा जिला- भोजपुर सीआर न०- 109112500315205	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत ।
31	सान्ची कुमारी पिता- सतोष कुमार पासवान ग्राम+पो०- बघात थाना- मनगाछी जिला- दरभंगा सीआर न०- 109112600178710	कोकलियर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत ।
32	गौरी पिता- इन्द्रजीत कुमार पुरुषोत्तम ग्राम- सरिस्ताबाद श्रीराम पथ गर्दनीबाग पो०- अनीसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना सीआर न०- 109112500430926	कोकलियर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत ।

33	मुकेश कुमार सिंह पिता- विजय नारायण सिंह ग्राम+पो0- मालपुर थाना- पातेपुर जिला- वैशाली सीआर नं0- 109112600121661	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
34	मुद्रिका साह पिता- महाबीर साह ग्राम- धेधटा पो0- गोविंदचक थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर नं0- 109112502253185	ड्रामा	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
35	फुलवा देवी पति- उमा शकर सिंह ग्राम- अनहरिबाग पो0- हेतमपुर थाना- तीयर जिला- भोजपुर सीआर नं0- 109112402441499	एप्लाटिक ऐनिमिया	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
36	राजीव कुमार पिता- शशिनाथ चौबे ग्राम- तालिमपुर पो0+थाना- बाढ जिला- पटना सीआर नं0- 109112502867230	एप्लाटिक ऐनिमिया	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
37	वशिष्ठ महतो पिता- असर्फा महतो ग्राम- रीगा टोले योगवाना पो0+थाना- रीगा जिला- सीतामढी सीआर नं0- 109112300698045	Mxelong	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
38	अमन कुमार पिता- विजय महतो ग्राम- बरैपुरा पो0+थाना- बीरपुर जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 109112600565136	ACL	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
39	बिल्डू कुमार पिता- जालो महतो ग्राम- गीधरपुर पो0- वीरुपुर जिला- लखीसराय सीआर नं0- 109112600591838	ACL	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
40	विभा कुवर पति- लेट कुमार ग्राम- तरीपर वार्ड 02 पो0+थाना- बिक्रम जिला- पटना सीआर नं0- 1091125600817259	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

41	अशोक कुमार गुप्ता पिता- स्व० राजेद्र प्रसाद ग्राम- नीलामी गली सलेमपुर पो०+थाना- बाढ जिला- पटना सीआर न०- 109112301334152	कैसर रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।
42	सतोष मिश्रा पिता- कमल कात मिश्रा ग्राम- मदुकर छपरा पो०- साईन थाना- कॉटी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 109112502905794	ट्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
43	राजेद्र सिंह पिता- बनारसी सिंह ग्राम+पो०- बुढवा थाना- अलौली जिला- खगडिया सीआर न०- 109112600599634	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
44	सुमित कुमार पिता- रमेश ठाकुर ग्राम+पो०- बेला थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर न०- 109112402418942	Severe Allergic Asthma	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
45	नेहा कुमारी पिता- राजीव कुमार ग्राम- मननपुर मोरसंड पो०- मोरसंड थाना- रून्नी सैदपुर जिला- सीतामढी सीआर न०- 109112501546651	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			52,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 52,80,000/- (बावन लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना,बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1336 (14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलगन चेक सं० 00.2657 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई० टी नैनजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

राजेश्वर अस्पताल,

नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,

ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनोज गिरी पिता- शिला गिरी ग्राम- बेला मठिया पो0- बेला थाना- दरियापुर जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1337(14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002657 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मीरा देवी पति- नवल किशोर सिंह ग्राम- रहीमपुर यादो पो०+थाना- मढौरा जिला- सारण रजि न०- अंकित नहीं है।	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	मुनज्जा राज पिता- राज हुसैन ग्राम- नवलपुर बडी तकिया पो०- सिवान थाना- नगर जिला- सिवान रजि नं०- 3000300977	कोकलियर इम्प्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
3	मंजू जैन पति- जय प्रकाश जैन ग्राम- झाऊगंज गली पो०- झाऊगंज थाना- चौक थाना जिला- पटना यूएचआईडी न०- 3000614866	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	प्रफुल कुमार पिता- स्व० विनय शर्मा ग्राम- अस्तुपुर वार्ड 06 पो०- सोनचरी थाना- परवलपुर जिला- नालदा यूएचआईडी नं०- 3000634927	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	बीरेद्र कुमार सिंह पिता- कपिलदेव प्रसाद सिंह ग्राम- कुथिया वार्ड 13 पो0- झिकुलिया थाना- बेलहर जिला- बाका यूएचआईडी नं0- 3000632645	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	मुन्ना कुमार पटेल पिता- जगत नारायण पटेल ग्राम- हाजमा टोला पो0- सिंहपुर हरैया थाना- हरैया जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी नं0- 3000634354	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	रोहित कुमार पिता- बबलू झा ग्राम- आनंद नगर नेवा लाल चौक पो0- लालगंज थाना- के हाट जिला- पूर्णिया यूएचआईडी नं0- 3000632366	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	उषा देवी पति-राहुल विजय ग्राम- चित्रकुट नगर रोड नं0-6 दीघा दियारा पोस्ट-दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना रजिन0-3000635795	CKD	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			7,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,50,000/- (सात लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002657..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को

वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय ।

5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—


(डॉ० श्रीमती) रेखा झा
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1338(14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002657...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / डॉ० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 06.05.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुधा देवी पति- पिन्दू कुमार ग्राम- बाजितपुर पो0- बेरथु थाना- करायपरसुराय जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	गुड्डू कुमार पिता- कारू राउत ग्राम+पो0- मघडा थाना- बिहारशरीफ जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
3	दिलखुश कुमारी पिता- स्व0 प्रकाश पासवान ग्राम+पो0- रामपुर सिडाय थाना- बरबीघा जिला- शेखपुरा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
4	सुमित कुमार पिता- दिलीप प्रसाद ग्राम- बीबीगंज ताडीगोदाम पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
5	रामेश्वर प्रसाद चौधरी पिता- गोपी लाल ग्राम- टोला पो0- महेश्वरी थाना- जोगबनी जिला- अररिया	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

6	राजगीर महतो पिता- देवकरण महतो ग्राम- पूरनटाड पो0- प्रतापटाड थाना- लालगज जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
7	बिना देवी पति- अशोक राय ग्राम- चकिया पो0- बीटीपीपी थाना- चकिया जिला- बेगूसराय	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
8	सुनयना कुमारी पिता- राम लगन महतो ग्राम- बरैय पो0- बरैय बगरहा थाना- गगौर जिला- खगडिया	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
9	रंजू देवी पति- प्रदीप शर्मा ग्राम- रामकृष्णा नगर पो0- न्यू जगनपुरा थाना- रामकृष्णा नगर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
10	सुनीता देवी पति- किताब लाल ग्राम+पो0- बैरिया थाना- गोपालपुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
11	रितु कुमारी पति- रजनीश प्रसाद सिंह ग्राम- कल्याण बिगहा पो0- बराह थाना- हरनौत जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
12	फुलमन्ती देवी पति- देवानद राम ग्राम- रेवा पो0- सराय थाना- मनेर जिला- पटना	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			14,35,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,35,000/- (चौदह लाख पैंतीस हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002657...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया,

-शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्रांड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 11/5/2026

ज्ञापाक 1339 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002657 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिव कुमारी देवी पति- अखिलेश राय ग्राम- रानीपुर पो०+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रेखा पटेल पति- पंकज कुमार ग्राम+पो०- बादी थाना- कतरीसराय जिला- नालदा	Thyroidectomy	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	बीरेद्र कुमार राय पिता- रामेश्वर राय ग्राम- आनदपुर पो०+थाना- बिहटा जिला- पटना	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	मीना देवी पति- दिनेश कुमार राय ग्राम- उमेदपुर पो०- भगवतपुर थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	शीला देवी पति- राजू सहनी ग्राम- अपोजिट शिव मंदिर नियर यूनियन बैंक आर्य कुमार रोड मछुआटोली पो0- बाकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सुनील राम पिता- बलेश्वर राम ग्राम- भदारी पो0- नालदा थाना- सिलाव जिला- नालंदा	हृदय रोग एवीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			4,85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 4,85,000/- (चार लाख पचासी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 *002657* द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **31792937290**, खाता धारक का नाम- **फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-**स्टेट बैंक आफ इण्डिया**, शाखा का नाम-**हनुमान नगर पटना**, RTGS/IFSC कोड सं0 **SBIN0009005** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- **30121380424**, IFSC Code- **SBIN0006379**, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1340 (14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 ~~002657~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
कंकडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मधु देवी पति- पकज कुमार प्रसाद ग्राम+पो०- खडरिहया थाना- दाउदपुर जिला- सारण	Decompression and Fixation	85,000	पचासी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	विनोद कुमार पिता- दोन राय ग्राम+पो०+थाना- मोहनपुर जिला- समस्तीपुर	Decompression and Fixation	85,000	पचासी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,70,000/- (एक लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड स०- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
- 7 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1341 (14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002654 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आरती कुमारी पिता- विश्वनाथ प्रसाद ग्राम- राजेन्द्र नगर रोड न०- 10, पो०+थाना- कदमकुआ जिला- पटना	Vascularised Lipoma	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 70,000/- (सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440720110000219 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


पटना, दिनांक 11/5/2026

ज्ञापांक

1342(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...~~002654~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ब्रजेश कुमार राय पिता- सचिदानन्द राय ग्राम-वार्ड नं०-2 टीचर कोलनी, बिहिया पो०-बिहिया थाना-बिहिया जिला- भोजपुर	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 40,000/- (चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002654 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1343 (14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002654...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेक्टर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० जाकिर पिता- मो० जमीर ग्राम- जमालपुर वार्ड 07 पो०+थाना- जमालपुर जिला- दरभंगा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	मनोज ठाकुर पिता- परमेश्वरी ठाकुर ग्राम- कुपरिया पो०- बलजोरा थाना- त्रिवेणीगज जिला- सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सुलोचना देवी पति- रामानंद मडल ग्राम- रजोला वार्ड 07 पो०- बटराहा थाना- सोनमणि गोदाम जिला- अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मो० सईद असासी पिता- मो० अली असासी ग्राम- अलीगज वार्ड 15 पो०+थाना- बाका जिला- बाका	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	ममता देवी पति- सतोश कुमार ग्राम+पो0+थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	समीउल्लाह पिता- शेख हनीफ ग्राम- बहादुरपुर वार्ड 16 पो0+थाना- मेहसी जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	साहेब अली पिता- मेहदी ग्राम- मुस्तफाबाद वार्ड 03 पो0- मुसतफाबाद थाना- गोरेयाकोटी जिला- सिवान	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	हसिबूर रहमान पिता- मजालुद्दीन ग्राम- फुदकीपुर वार्ड 14 पो0- निमोल हाट थाना- आजमनगर जिला- कटिहार	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	मुन्ना यादव पिता- सौदागर प्रसाद यादव ग्राम- श्यामबाग पो0+थाना- सुल्तानगंज जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	पूनम देवी पति- श्याम किशो झा ग्राम- चौरौल वार्ड 02 पो0+थाना- चौरौत जिला- सीतामढी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	कुमुद कुमारी पति- वसंत कुमार सिंह ग्राम- गोढना पो0- नेउरा थाना- बिहटा जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	चन्द्रकिशोर यादव पिता- शिव नारायण यादव ग्राम- फतेहपुर वार्ड 13 पो0- फतेहपुर थाना- बिहारीगंज जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	फरीदा खातून पति- ग्यास असारी ग्राम- बदरी टोला वार्ड 07 पो0+थाना- चौसा जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

14	सत्य नारायण यादव पिता- कनिक लाल यादव ग्राम- मोहनिया गणेशपट्टी वार्ड 09 पो0- मोहनिया चकला थाना- बनमनखी जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	मीना देवी पति- महेश्वरी सिंह ग्राम- हेमकुज टोला वार्ड 09 पो0+थाना- चौसा जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मेहर नाज खातून पति- मो0 मसूर आलम ग्राम- बंगा टोली हरिपुर वार्ड 01 पो0- आसजा मोबैया थाना- अमौर जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
17	विनय कुमार पिता- शम्भू पाल ग्राम- सगुणा गौधी मूर्ति पो0- दानापुर कैंट थाना- दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
18	पूनम देवी पति- चन्द्रकेत सिंह ग्राम- चांदपुरा वार्ड 11 पो0- भगवानपुर थाना- परसा जिला- सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
19	विना पाठक पति- शशिकांत पाठक ग्राम- माधोपट्टी वार्ड 05 पो0- माधोपट्टी थाना- कमतौल जिला- दरभंगा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			14,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,00,000/- (चौदह लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेंटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं SBIN0017469 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1344 (14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~0.0.26.5.4~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सगीता देवी पति- आनंद महोन सिंह ग्राम- नोवगाईन वार्ड 08 पो०- नोवगाईन थाना- संग्रामपुर जिला- मुंगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	विनोद कुमार चंद्रवशी पिता- रामचंद्र चंद्रवशी ग्राम- रामजी चक दीघा पो०- बाटागंज थाना- दीघा जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सुरेश प्रसाद पिता- वीरू रजक ग्राम- मदरसा गली भरावपर पो०- बिहार शरीफ थाना- लहेरी जिला- नालंदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	बिर्जेन्द्र राय पिता- रामदेव सिंह ग्राम- धरफरी वार्ड 14 पो०- धरफरी थाना- देवरिया जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	राम बालक निराला पिता- स्व० जागेश्वर महतो ग्राम- भटोतर पो०+थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सुधाकर शुक्ल पिता- पुण्यदेव शुक्ल ग्राम+पो०- सलहा थाना- गोविन्दगज जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सुरेद्र पाण्डेय पिता- रामप्रसाद पाण्डेय ग्राम- बस्ती पो०+थाना- हरनौत जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	गया देवी पति- राजेद्र साह ग्राम- देसरी वार्ड 10 पो०+थाना- देसरी जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	बालमुकुद राय पिता- रामाश्रय राय ग्राम- भदवास पो०- हसनपुर भदवास थाना- महुआ जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			7,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,20,000/- (सात लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1345(14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002657 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14/एम-11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,
निदेशक

डा0 बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि0) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक ...

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 06.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मौसम कुमारी पिता- सुरेन्द्र यादव ग्राम-लहलादपुर पोस्ट-सैदाबाद थाना-रानीतालाब जिला-पटना	Lap Cholecystectomy	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	शिव कुमार पिता- स्व0 उमेश प्रसाद ग्राम-सुल्तानपुर पोस्ट-दानापुर कैंट थाना-दानापुर जिला-पटना	Hepatitis	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	लाखो देवी पति-मिथिलेश कुमार राय ग्राम- मुजी टोला पोस्ट+थाना मनेर जिला-पटना	Lap Cholecystectomy	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 1,50,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002657द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 442820110000158 खाता धारक का नाम- DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-

बोरिंग कनेल रोड, पटना, बिहार-800001, RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0004428 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 11/5/2026

ज्ञापाक 1346(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.002651 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक ...

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- **06.05.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मिथिलेश पाडे पिता- राम लखन पाडे ग्राम- करमाडीह पो०- सिघना थाना- अम्बा जिला- औरंगाबाद	बोध नी रिफ्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	विभाष सिंह पिता- प्रमोद सिंह ग्राम- ऐनी पो०- भावदेवा थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,30,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० *002651* द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1347(14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002657 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे) / आइ टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हरार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनाक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक 06.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रूपा कुमारी पति- मिथिलेश कुमार ग्राम- नयागाव रेपुरा टोला पो0- नयागज थाना- देसरी जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 33569032861 खाता धारक का नाम-"ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 11/5/2026

ज्ञापक 1348(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 002657. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैंम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ताबिला खातून पति- कैयुम मिया ग्राम- प्राणपुर पो०- सोनमा थाना- बखरी पुलिस स्टेशन जिला- बेगूसराय केस फाईल न०- 19एफ2024/005772	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	इस्माइल असारी पिता- रसूल असारी ग्राम- अमवा टोला पो०- तेलहारा थाना- कुण्डवा चैनपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०- 11एफ2023/028869	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	चिता देवी पति- शत्रुधन राय ग्राम- खोपी पो०- धनुषी थाना- रून्नी सैदपुर जिला- सीतामढी केस फाईल न०- 19एफ2024/001375	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	रगीला रानी पति- देवेन्द्र कुमार ग्राम- कुशी हरपुर रमणी पो०- कुशी थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2026/001990	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	रेखा देवी पति- राजेश राय ग्राम+पो0- नयागाव थाना- श्यामपुर भटहॉ जिला- शिवहर केस फाईल न0- 19एफ2025/006996	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	मो0 जीमल पिता- मो0 हनीफ ग्राम+पो0- झिल्ला डुमरी थाना- भपटियाही जिला- सुपौल केस फाईल न0- 19एफ2025/007467	कैसर रोग	35,000	पैतीस हजार स्वीकृत।
7	हुस्ना खातून पति- नजरे आलम ग्राम+पो0- मधुआहॉ वृत्त थाना- राजेपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/001880	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	विमला देवी पति- राज किशोर साह ग्राम- अभूचक पो0+थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/001420	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	तबस्सुम खातून पति- अनवर अली ग्राम+पो0- पकडी पकोही थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2024/000084	कैसर रोग	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।
10	किसकीन्दा कुमारी पति- श्री कृष्णा कुमार ग्राम- मधिया पो0- मुरली परसौनी थाना- बलथर जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/001940	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
11	सुजीत कुमार सिंह पिता- स्व0 कामेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम- पहलागढ पो0- सोनैली थाना- कदवा जिला- कटिहार केस फाईल न0- सीएल/13330	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	शिलाकान्त ओझा पिता- भगवत ओझा ग्राम- रसूलपुर वाजिद पो0- भीखनपुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2024 / 004980	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	बदरुद दोजा पिता- नुरुद्दीन ग्राम- कोल्हा पो0- चौकी हरिपुर थाना- कदवा जिला- कटिहार केस फाईल न0- 11एफ2025 / 017714	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	मास्टर शिवम कुमार पिता- राज कुमार ग्राम- झिटकहिया पो0- साहिला बल्ली थाना- हथौडी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 002220	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	कृष्णा देवी पति- रामविलाश राय ग्राम+पो0- दूबियाही थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2024 / 003142	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	वाजीफा खातून पति- मो0 अनीश ग्राम- तारसन किशुनी पो0- खरौना डीह थाना- तुर्की जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 005292	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
17	सुन्दर देवी पिता- महावीर पासवान ग्राम- पिपरा सेन पो0+थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001176	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
18	सोनी कुमारी पति- अजन सहनी ग्राम+पो0- सुहईगढ थाना- महिन्दवारा जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001660	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।

19	सध्या कुमारी पति- दीपक कुमार ग्राम+पो0- सोनबरसा डीह थाना- मनिघारी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2024/003541	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
20	रुबीना तबस्सुम पति- स्व0 वसीम उद्दीन ग्राम- मोहिबअलीचक पो0+थाना- हबीबपुर जिला- भागलपुर केस फाईल न0- 11एफ2025/008359	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	बिन्दालाल पडित पिता- महेश पडित ग्राम- बैदापुर बिशुनपुरा पो0- बिशुनपुरा थाना- दरौदा जिला- सिवान केस फाईल न0- 18एफ2026/002834	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	बिरेद्र प्रसाद पिता- लक्ष्मण प्रसाद ग्राम+पो0- हुलेसडा थाना- भगवानपुर जिला- सिवान केस फाईल न0- 12एफ2024/000988	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	रकोजा खातून पति- मो0 जैनुल ग्राम+पो0- बलीगढ थाना- रून्नी सैदपुर जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2024/003669	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
24	मजूला कुमारी पति- शकर कुमार ग्राम- मथुरिया मोहल्ला गोला रोड पो0- बिहारशरीफ थाना- लहेरी जिला- नालदा सीआर न0- 11 एफ 2024/002560	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
25	अभिषेक राज पिता- बिनोद प्रसाद सिंह ग्राम- रूसूलपुर हुसैन पो0- मलिकपुरा थाना- गोरौल जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2025/005991	कैसर रोग	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।

26	जानकी देवी पति- नवल किशोर सिंह ग्राम- महुअवा पो0- पुरैनिया थाना- दरपा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025/007517	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
			14,85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,85,000/- (चौदह लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002651..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हौस्पिटल, एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1349 (14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002651 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर/स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/5/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **06.05.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	राज मडल पिता— अमर नाथ मडल ग्राम+पो०— सिहौल वार्ड न०— 13 थाना— बिरौल जिला— दरभंगा	हृदय रोग टीओएफ	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	नन्द किशोर प्रसाद पिता— केशव लाल ग्राम— दाउदपुर पो०+थाना— मसौढी जिला— पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			2,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **002654** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 50200060079860 खाता धारक का नाम— Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम— , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1350 (14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002654 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आर० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोगरा खातून पति- नसीरुद्दीन खान ग्राम- महुवल पो०- बडरम थाना- हुसैनगज जिला- सिवान	हृदय रोग पेसमेकर डीडीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	कुमारी मीना शर्मा पति- विवेकानंद ठाकुर ग्राम- सबलपुर बभन टोली पो०+थाना- सोनपुर जिला- सारण	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	वीरेन्द्र साह पिता- योगेद्र साह ग्राम+पो०- खेसराही थाना- पातेपुर जिला- वैशाली	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			3,05,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,05,000/- (तीन लाख पाँच हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स०-30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम ..RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

3. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1351(14)

पटना, दिनांक 11/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 002657 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त की कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाए
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बी0एस0एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न0-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **06.05.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एव पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	कलावती देवी पति-सुदामा प्रसाद ग्राम-पो0 मोंकर थाना-कडौना जिला-जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	लालमणी देवी पति- रैदेव पंडित ग्राम-भीठीया पो0-कदौना थाना+जिला जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सजोगा देवी पति-सरयू पासवान ग्राम-भीठीया पो0-कदौना थाना+जिला जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	कान्ति देवी पति- गोपाल शर्मा ग्राम-भीठीया पो0-कदौना थाना+जिला जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	युगल पासवान पिता- गौरी पासवान ग्राम-भीठीया पो0-कदौना थाना+जिला जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	राम गोविन्द सिंह पिता- अगनु सिंह ग्राम-भीठीया रसलपुर पो0-कदौना थाना+जिला जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	शकर कुमार पिता- राज बल्लभ राम ग्राम- हसनपुरा पो0-ढिबरा थाना- जानीपुर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	बेबी देवी पिता- रामधनी पासवान ग्राम-हसनपुरा पो0-ढिबरा थाना-जानीपुर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	साजदा खातुन पति- असगर अहमद ग्राम-कव्वाल टोली पोस्ट+थाना फुलवारीशरीफ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	मो0 युसुफ साह पिता- मो0 समद साह ग्राम- नहरपर ईशापुर पोस्ट+थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	राम प्रवेश राय पिता- गोपाल राय ग्राम- रानीपुर पो-फुलवारीशरीफ थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	पुतुल देवी पति-सत्यनारायण पासवान ग्राम- उत्तरी सगत पो0+थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	सुरज बिन्द पिता- मोती बिन्द ग्राम-इब्राहीमपुर पोस्ट+थाना शकुराबाद जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	राम प्रवेश शर्मा पिता-केशो शर्मा ग्राम- नोआवाँ पो-नोआवाँ थाना शकुराबाद जिला जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

15	सैरून मियाँ पति- मुगफ्फर ग्राम- नोआवाँ पो-नोआवाँ थाना शकुराबाद जिला जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	देवकली देवी पति-मुगलाल चौधरी ग्राम- नोआवाँ पो-नोआवाँ थाना शकुराबाद जिला जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	दशरथ सिंह पिता-जगत सिंह ग्राम+पो0 बागी थाना- अजिमाबाद जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	सैमुन खातुन पति-अली मिया ग्राम-पेसौर पो0-पेसौर थाना-चरपोखरी जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	सतीश पिता-स्व0 राम चदर सिंह ग्राम-पुना पोस्ट-पवना थाना पवना जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	जानकी कुवर पति- शिव दयाल साह ग्राम+पो0-पवना थाना- पवना जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	सुनैना देवी पति-रामचन्द्र साह ग्राम-पुना पो0-पवना थाना-पवना जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	रामनाथ कहार पिता- धनराज कहार ग्राम-पवना पो0-पवना थाना पवना जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

23	अलख प्रसाद पिता-सिया शरण प्रसाद ग्राम- धनराज टोला पोस्ट- फतुहा थाना- खुसरूपुर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	जयबुन निशा पति-जसीम साह ग्राम-रूपौ पो-रूपौ थाना-रूपौ जिला- नवादा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	दुर्गा देवी पति-ललन चौधरी ग्राम+पो मोकर थाना- कडौना जिला- जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	बिजेन्द्र कुमार पिता-टेटर राय ग्राम-मोकर पो-मोकर थाना-कडौना जिला जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			2,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1354(14)

पटना, दिनांक— 11/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक

स० 002657 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
102

स० सं० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

रामकृष्ण कुमार
पिता- बाके मिस्त्री
ग्राम- नारदीडीह
पो०+थाना- नारदीगज
जिला- नवादा
पिनकोड- 805109

पटना, दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.05.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामकृष्ण कुमार पिता- बाके मिस्त्री ग्राम- नारदीडीह पो०+थाना- नारदीगज जिला- नवादा पिनकोड- 805109	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002657 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं- 39388846340, खाता धारक का नाम- RAM KRISHANKUMAR, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-, IFSC कोड सं- SBIN0001524 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 1377(14)

पटना, दिनाक 11/5/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 00207 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


11/5/26
निदेशक प्रमुख



सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिह्न (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और जटिल रखें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, फार्ड क्रमांक, सीवीसी, पिन, आदि किसी के साथ साझा ना करें।
- अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा मोबाइल नोटिफिकेशन साइट्स से प्रार्थन होने वाली लिन्क्स पर क्लिक ना करें।
- अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें।
- पासवर्ड आई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB संबंधित कोड के साथ ही आयेगे। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

Tips for Secure Banking

- Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- Do not share your personal details like Username, Password, etc. with anyone.
- Do not click on any suspicious links or download any applications from unknown sources.
- Always use the official SBI app or website for banking transactions.
- SMS alerts from SBI should only come from SBI only, e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number for assistance:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.
For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

Branch: ALWAL, DISTRICT TIRUMALAGIRI, SECTOR 12,
Email: SBI.01524@SBI.CO.IN
Phone No.: 4077317
IFSC: SBIN0001524

Bus. Hrs: 10:00:00-15:00:00
MICR: 160002007

Name Mr. Ram. Krishankumar
U/E/A/c : BANKE MISTRI
CIF Numbr. : 90558391099
Account No.: 39388846340
A/c Type : REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT
Address : S/O: Banke Mistri, 25-31, Alwal, golagud
a, near TEMPLE
Tirumalagiri

NOP: SINGLE
A/c Opening Dt: 08/08/2020
Nom Reg No:
Customer's PAN: CDUPK6164Q
Date of Issue: 19/12/2023
CONTINUATION

Phone No. :
Email : ramkrishankumar346@gmail.com
D.O.B. (If Minor):
PPC Number :

BRANCH MANAGER